सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) **(Government of India : Ministry of Home Affairs)**

हैदराबाद : **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : **Notified Recruitment Rules for the post of Telephone Operator -Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Telephone Operator is enclosed herewith for uploading the same in the Academy website under "Recruitment Rules" column.

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

The Assistant Director (IT)
SVP NPA,Hyderabad.

No.19011/1/2009/Estt/RRs/Tel. Opr/A-5 Dated 05 / 04 / 2018

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2018

सा.का.नि. 81.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद (टेलीफोन ऑपरेटर) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **सेवा का आरंभिक गठन**– इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट टेलीफोन ऑपरेटर पद के ऐसे पदधारी, जो इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख से पूर्व नियमित आधार पर पद पर नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और इन नियमों के आरंभ से पूर्व उक्त पद पर की गई सेवा को परिवीक्षा की अवधि और अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति हेतु पात्रता का निर्णय के प्रयोजनों के गणना में लिया जाएगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टेलीफोन ऑपरेटर	02*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 3 (रू. 21700–69100)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण–1** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अन्य राज्यों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,

					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–क मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला, तथा चंबा जिले के पंगी उपखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) **टिप्पण** –2 रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
आवश्यक: 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण हो ; 2. क) टेलीफोन प्रचालन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा ; या ख) निजी ब्रांच एक्सचेंज स्विच बोर्डों के परिचालन में जिला दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, महाप्रबंधक, दूरभाष, भारतीय डाक एवं टेलीग्राफ विभाग से एक माह अवधि का प्रमाण पत्र। 3. इलैक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज और लोकल ट्रंक लाइनों के प्रबंध में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 4. हिंदी और किसी अन्य भारतीय भाषा में वार्तालाप की योग्यता हो । 5. अंग्रेजी का कार्य साधक ज्ञान हो **वांछनीय:** 1. अंग्रेजी में धाराप्रवाह बात करने की योग्यता हो। 2. लंबी अवधि तक बैठने की योग्यता हो। 3. सभी परिस्थितियों को शांति और नम्रता से सुलझाने की योग्यता हो।	आयु – लागू नहीं होता। **अर्हता** : 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण हो ; 2. क) टेलीफोन प्रचालन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा ; या ख) निजी ब्रांच एक्सचेंज स्विच बोर्डों के परिचालन में जिला दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र, महाप्रबंधक, दूरभाष, भारतीय डाक एवं टेलीग्राफ विभाग से एक माह अवधि का प्रमाण पत्र। 3. इलैक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज और लोकल ट्रंक लाइनों के प्रबंध में न्यूनतम 3 वर्षीय अनुभव होना चाहिए। **वांछनीय:** 1. अंग्रेजी में धारा प्रवाह बात करने की योग्यता हो। 2. लंबी अवधि तक बैठने की योग्यता हो। 3. सभी परिस्थितियों को शांति और नम्रता से सुलझाने की योग्यता हो।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
2 वर्ष (सीधी भर्ती हेतु)।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा करने वाले बहुकार्य कर्मचारीवृंद से प्रोन्नति और जिसने टेलीफोन प्रचालन की प्रोन्नति हेतु अशर्त विकल्प का प्रयोग किया हो और स्तंभ (8) में विहित शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह – ग विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे – 1. उप निदेशक – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/16/2017–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 15th March, 2018

G.S.R. 81.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Telephone Operator in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Telephone Operator) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Telephone Operator	02*(2018) *Subject to variation dependent on work.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21700-69100)	Non-Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18-27 years (Relaxable for Government servant up to the age of forty years in case of General Candidates and up to forty five years in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram. Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep). **Note 2**: The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** (1) 12th or Intermediate pass, from a Recognised Board, (2) (a) Diploma from Industrial Training Institute in Telephone Operation.; or (b) Certificate of one month duration from the District Tele-Communication Training Centre, General Manager, Telephone, Indian Posts and Telegraph Department in the operation of private branch exchange switch boards. (3) Minimum three years experience in managing electronic private automatic branch exchange and local trunk lines. (4) Ability to communicate in Hindi and any other Indian language. (5) Working knowledge of English. **Desirable:** (i) Ability to communicate fluently in English. (ii) Ability to sit for extended periods of time. (iii) Ability to handle all types of situations with diplomacy and politeness.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Age: Not applicable. **Qualification:** (1) 12th or Intermediate pass, from a Recognized Board,	Two years (for direct recruitment).	Promotion failing which by direct Recruitment.

(2) (a) Diploma from Industrial Training Institute in Telephone Operation; or (b) Certificate of one month duration from the District Tele-Communication Training Centre, General Manager, Telephone, Indian Posts and Telegraph Department in the operation of private branch exchange switch boards. (3) Minimum three years experience in managing Electronic Private Automatic Branch Exchange and local trunk lines. **Desirable:-** (i) Ability to communicate fluently in English. (ii) Ability to sit for extended periods of time. (iii) Ability to handle all types of situations with diplomacy and politeness.		

In case of recruitment by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion from the Multi Tasking Staff with six years of service rendered in the grade after appointment thereto, on regular basis and who have exercised unconditional option to the promotion of Telephone Operator and possessing educational qualification prescribed at Column (8).	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:** Deputy Director – Chairman; Assistant Director – Member; and Admn. Officer - Member	Not applicable.

[F. No. 23011/16/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2018

सा.का.नि. 82.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी इलैक्ट्रॉनिक तकनीशियन–सह–ऑपरेटर भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में इलैक्ट्रॉनिक तकनीशियन–सह–ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद (इलैक्ट्रॉनिक तकनीशियन–सह–ऑपरेटर) भर्ती नियम, 2018 है।

(ii) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती को पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।